



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मार्गदर्शिका

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत संसद द्वारा अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005 पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2132 / XXXI(10)G-65(सू0अ0)/2012 दिनांक 28 जून 2013 द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 प्रख्यापित की गयी है।

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं—

(अ) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकाबद्द ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिये समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके।

(ब) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की आंकाक्षाओं की पूर्ति हेतु निम्नांकित विषयों पर मैनुअल तैयार किये गये हैं।

मैनुअल सं0- 01 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।

मैनुअल सं0— 02 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।

मैनुअल सं0— 03 विनिश्चय करने की प्रक्रियामें पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है ।

मैनुअल सं0— 04 अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ।

मैनुअल सं0— 05 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख ।

मैनुअल सं0— 06 ऐसे दस्तवेजों के, जो उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का वितरण ।

मैनुअल सं0— 07 किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है ।

मैनुअल सं0— 08 ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण ।

मैनुअल सं0— 09 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी व अन्य की निर्देशिका ।

मैनुअल सं0— 10 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति ।

मैनुअल सं0— 11 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने अभिकरण को आंबटित बजट ।

मैनुअल सं0— 12 सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें रीति आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं ।

मैनुअल सं0— 13 अपने द्वारा अनुदत्तरियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ।

मैनुअल सं0— 14 किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।

मैनुअल सं0— 15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है ।

मैनुअल सं0— 16 लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ।

मैनुअलसं0— 17 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय।

(क) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये चयनित अध्ययन केन्द्रों की संख्या एवं अन्य विवरण।

(ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में प्रभावी नियन्त्रण समनवयक हेतु गठित क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण।

(ग) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण।

(घ) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं उनमें पंजीकृत विद्यार्थियों का विवरण।

उक्तांकित मैनुअल को समय—समय पर अद्योनीत किया गया है। सम्प्रतिदिनांक 30—06—2020 की स्थिति के अनुसार सभी मैनुअल अद्योनीत किये गये गये हैं तथा विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर प्रकाशित किये गये हैं।

(स) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से ऐसी सूचनाएँ समाचार पत्रों के माध्यम से तथा विश्वविद्यालय की वैबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाती हैं।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये अनुरोध—

(1) सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित हैं, पृथक से सूचना प्रकोष्ठ भी गठित है।

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में विहित शुल्क ₹ 10/- के साथ लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को अनुरोध पत्र प्रेषित कर सकता है। सूचना हेतु शुल्क वित्तनियंत्रक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के नाम देय हो।

परन्तु जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहाँ लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(3) सूचना के लिये अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिये किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिये आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) जहाँ, कोई आवेदन लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को किसी ऐसी सूचना के लिये अनुरोध करते हुए किया जाता है जिसकी विषय—वस्तु जिस विभाग/अनुभाग से सम्बन्धित होती है उसे डीम्ड लोक सूचना अधिकारी मानते हुए अंतरित की जाती है।

सम्बन्धित विभाग/अनुभाग से सूचना प्राप्त होने पर अनुरोधकर्ता को तदनुसार सूचना प्रेषित की जाती है अथवा अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाती है।

(5) सूचना के किसी अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित होने पर किसी आवेदन का अंतरण यथा साध्य शीघ्रता से किया जाता है।

सूचना अनुरोध पत्रों का निस्तारण

(1) अधिनियम की धारा-6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, लोक सूचना अधिकारी द्वारा, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, या तो सूचना उपलब्ध कराई जाती है धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है।

परंतु जहाँ मांगी गई जानकारी का सम्बंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहाँ, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहाँ लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—

(क) उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ विहित फीस के अनुसार कुल शुल्क निकालने के लिये की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना में नहीं लिया जायेगा।

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुँच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत विभागीय अपीलीय प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय—सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोक नकरने के संबंधमें उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।

परंतु ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीच हैं, से सूचना हेतु शुल्क उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 6(घ) के अनुरूप लिया जायेगा।

(3) जहाँ लोक प्राधिकारी विनिर्दिष्ट समय—सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) जहाँ, किसी अनुरोध को अस्वीकृत किया गया है, वहाँ, लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारण, वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी, और अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा।

(5) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट-

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में अंतर्विष्ट किसीबात के होते हुए भी, किसी नागरिक को कतिपय सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। ऐसी सूचनाओं का विवरण अधिनियम की धारा-8 में किया गया है जिसे यथावत निम्नवत् उद्धरित किया जा रहा है।

धारा-8. सूचना के प्रकट किये जाने से छूट

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी—

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसीराज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंगकारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है;

(ङ.) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिये विश्वास में दी गई किसीसूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अचेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी;

(ज्ञ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं:

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री, जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे:

परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(ज) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोकक्रियाकलाप या हित से सम्बंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसीसूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है:

परन्तु ऐसी सूचना के लिये, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुँच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (ज्ञ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से सम्बंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु यह कि जहाँ उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहाँ इस अधिनियम में उसके लिये उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

पर व्यक्ति सूचना

(1) जहाँ, लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से सम्बंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पाँच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से

निवेदन करने के लिये पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यानमें रखा जाएगा:

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) जहाँ लोक सूचना अधिकारी द्वारा व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा।

विभागीय अपीलीय अधिकार के समक्ष प्रथम अपील

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरुद्ध अपील किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिकार नियमावली, 2013 के नियम-8 में विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने तथा अपील के निस्तारण हेतु व्यवस्था दी गयी है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में विभागीय अपीलों के निस्तारण हेतु विभागीय अपीलीय अधिकारी, कुल सचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय नामित हैं।

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यक्ति है उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकेगा।

विभागीय अपीलीय अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) जहाँ अपील धारा-11 के अधीन, राज्य लोकसूचना अधिकारी द्वारा पर यक्ति की सूचना प्रकटकरने के लिये किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहाँ सम्बंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील तथा शिकायत

(1) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19(1) के अधीन प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के अपील निस्तारण के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिकार नियमावली, 2013 के नियम-9 में राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने तथा अपील के निस्तारण हेतु व्यवस्था की गयी है। विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील नब्बे दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को की जा सकेगी।

परन्तु, राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-18 में राज्य सूचना आयोग को सूचना अधिकार से सम्बन्धित अनुरोध पत्रों के निस्तारण, प्रथम विभागीय अपीलों के निस्तारण तथा सूचना अधिकार अधिनियम के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच करने तथा तदसम्बन्ध में आदेश पारित करने का अधिकार है।

सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु समय—सारणी

क्रम संख्या	परिस्थिति	निस्तारण हेतु समय सीमा
1	सामान्य अनुरोध पत्रों पर सूचना का प्रेषण	अनुरोध पत्र के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर
2	व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना	अनुरोध पत्र के पंजीकरण के 48 घंटों के भीतर
3	सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क की मांग	यथासम्भव अनुरोध पत्र के पंजीकरण के 07 दिन के भीतर
4	सूचना अनुरोध पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने पर	अनुरोध पत्र के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर
5	यदि सूचना अनुरोध पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारी से अंतरित होकर प्राप्त होता है।	सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी के यहां अनुरोध पत्र के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर
6	तृतीय पक्ष से सम्बन्धित सूचना होने पर	अनुरोध पत्र के पंजीकरण के 40 दिन के भीतर
7	सूचना अनुरोधकर्ता से अतिरिक्त शुल्क की मांग किये जाने पर	अनुरोध पत्र के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर परन्तु अतिरिक्त शुल्क मांगे जाने तथा अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की अवधि 30 दिनों में नहीं गिनी जायेगी।

सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु शुल्क

क्रमांक	परिस्थिति	शुल्क	भुगतान की प्रक्रिया
1	सूचना अनुरोध पत्र हेतु निर्धारित शुल्क	₹0 10/-	डिमाण्ड ड्राफट, नगद रसीद, भारतीय पोस्टल आर्डर
2	ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति हेतु)	₹0 2 प्रतिपृष्ठ	डिमाण्ड ड्राफट, नगद रसीद, भारतीय पोस्टल आर्डर
3	ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ से बड़े आकार हेतु	वास्तविक लागत	डिमाण्ड ड्राफट, नगद रसीद, भारतीय पोस्टल आर्डर
4	अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटे हेतु	नि:शुल्क	नि:शुल्क
5	एक घण्टे के उपरांत प्रत्येक एक घंटे अथवा उसके भाग हेतु	₹0 5/-	डिमाण्ड ड्राफट, नगद रसीद, भारतीय पोस्टल आर्डर
6	माडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए	वास्तविक लागत	डिमाण्ड ड्राफट, नगद रसीद, भारतीय पोस्टल आर्डर
7	सी0डी0 / डी0वी0डी0 पर सूचना	₹0 20/- प्रति सी0डी0 / डी0वी0डी0	डिमाण्ड ड्राफट, नगद रसीद, भारतीय पोस्टल आर्डर
8	किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में	प्रकाशन का वास्तविक मूल्य	डिमाण्ड ड्राफट, नगद रसीद, भारतीय पोस्टल आर्डर
9	बी0पी0एल0 श्रेणी के स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना	नि:शुल्क	नि:शुल्क
10	बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता अथवा उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित सूचना	50 छायाप्रति (ए-4) या तैयार करने में रुपये 100/- के व्यय में नि:शुल्क	डिमाण्ड ड्राफट, नगद रसीद, भारतीय पोस्टल आर्डर

नोट:- सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त बिन्दु मात्र मार्गदर्शक बिन्दु हैं, जिसे तैयार करने में पूर्ण सतकर्ता बरती गयी है। इसका आशय सूचना अधिकार अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उत्तराखण्ड सूचना अधिकार नियमावली की विवेचना से नहीं है। सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही सूचना अधिकार अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उत्तराखण्ड सूचना अधिकार नियमावली, 2013 एवं तदसम्बन्ध में समय पर निर्गत आदेशों एवं शासनादेशों के अनुरूप की जाती हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[15 जून, 2005]

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए,
लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने
के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन
पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा
राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे
संबंधित या उनसे आनुषंगिक
विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है ;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा
करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा
उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है ;

और वार्ताविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके
अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और
संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है ;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विशेषी हितों के बीच
सामंजस्य बनाना आवश्यक है ;

अतः, अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कठिपय सूचना देने के लिए, जो उसे
पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है ।
- (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।
- (3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12,
धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी
होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को
प्रभृति होंगे ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारंभ ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “समुचित सरकार” से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो —

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) “केन्द्रीय सूचना आयोग” से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ग) “केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी” से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) “मुख्य सूचना आयुक्त” और “सूचना आयुक्त” से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत हैं;

(ज) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है—

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) “सूचना” से किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;

(छ) “विहित” से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) “लोक प्राधिकारी” से,—

- (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;
 (ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
 (ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
 (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है।

और इसके अन्तर्गत,—

- (i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ;
 (ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।
 (झ) “अभिलेख” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—
 (क) कोई दस्तावेज़, पाप्डुलिपि और फाइल ;
 (ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति प्रति ;
 (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) ; और
 (घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री ;
 (ज) “सूचना का अधिकार” से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है—
 (i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ;
 (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ;
 (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ;
 (iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचनाओं, जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना ;
 (ट) “राज्य सूचना आयोग” से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है ;
 (ठ) “राज्य मुख्य सूचना आयुक्त” और “राज्य सूचना आयुक्त” से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;
 (ड) “राज्य लोक सूचना अधिकारी” से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित

राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत घारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(द) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकार।

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी--

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुंकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुंकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर--

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक व्याख्यानिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो;

(xi) सभी शोजनाओं, प्रस्तुतियों और किए गए संवितरणों पर विधायिकों की विशिष्टियां उपलब्धित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बंजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की शीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाप्राहियों के ब्यौरे समिलित हैं;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त विधयों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के विशिष्टिताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुकृत हैं तो, कार्यकरण घटे समिलित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककाल्य विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और शीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, व्याख्यानिक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या सञ्चय सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, “प्रसारित” से

सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक सदृश्यताओं, भीड़िया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अधिवेत है।

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम।

5. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एकार्कों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पवारिहित करेगा :

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता वाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध।

6. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,—

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत और को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है,—

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या

(ii) जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा :

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

7. (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

अनुरोध
निपटारा।

का

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अङ्गतालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के छौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएँ होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उप्रके अधिकार से संबंधित सूचना देवे हुए, कोई संस्कृता भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का सदाय करेगा, जो विहित की जाएः

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अस्वावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण;

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, संस्कृत सूचना करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मार्गा गर्या है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपाली रूप से विचलित न करता हो, या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की वाद्यता नहीं होगी—

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, शरणीयति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध घर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो; या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट।

अभिस्थित रूप से निश्चिह्न किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है; इसके बाद विश्वास में उपलब्ध सूचना की जाती है।

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी शाज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बीद्विक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नोतेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना जिसकी प्रकट करने के व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या संहायता के स्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड्डचन पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद् सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं;

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् अनता को उपलब्ध कराए जाएंगे;

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(झ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर असंविश्यक अस्तिकारण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना प्राधिकारी या शाज्य स्रोत सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है:

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको यथास्थिति, संसद् या किसी विधान-मंडल को क्षेत्र से इकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) अप्रकारी गुप्त बात अधिनियम, 1923 में उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुँच अनुज्ञात की जा सकती, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(उ) उपकारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तात् या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस लारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई

जाएगी :

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

कठिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार।

पृथक्करणीयता।

9. धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा।

10. (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक् की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि—

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक् करने के पश्चात्, उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अन्तर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी हैं;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निष्केप करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।

पर व्यक्ति सूचना।

11. (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी

भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकल्प के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हक़दार है ।

अध्याय 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन, करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं ।

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन ।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(3) युवा सूचना आयुक्त और सूचना अधिकारी की विधियाँ, विधृति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएँ—

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) लोकसभा में विषय का नेता ; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विषय के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विषयी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विषय का नेता समझा जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी जलियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेंगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क भाष्यम् या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुभोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा शर्तें।

13. (1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए एक धारणा करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद छोड़ना नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहाँ सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहाँ उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेखा होता अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेश वेतन और भज्जे तथा सेवा के अन्य नियंत्रण और शर्तें—

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्दाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की है :

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेशन, अक्षमता या क्षति पेशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेशन की, जिसके अंतर्गत पेशन का ऐसा कोई भ्राग, जिसे संशालिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेशन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेशन भी है, रकम की कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी नियम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में कोई गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दस पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

14. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सावित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की, जिसके विरुद्ध उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश परिस्तिं किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिक्रिया कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विद्युत किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त,

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे अपशंध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की सेवा में नैतिक अधमता अन्तर्वित है; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना ।

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अंयोग्य हैं ; या

(ज) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभीवना है ।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी नियमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलक्षियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग
का गठन ।

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं ।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,—

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य ।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा ।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं या की जा सकती हैं ।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुसोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) संदेय वेतन और भर्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें—

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति-पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उद्दृष्ट वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशित किया गया

पदावधि और सेवा की शर्तें ।

था और सेवानिवृत्ति उपदाम के समतुल्य पेशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी नियम के केन्द्रीय राज्यकार या राज्य राजकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी संक्रान्ति की गई किसी मूर्च्छेकार के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहे हैं वहां परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में प्रश्नोत्तरी वा संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेशन की रकम कम करनी चाहिए।

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन अत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य राज्यकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपतत्व कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के लिए मालिन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

17. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उस किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाए कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेंगे और यदि आवश्यक समझें तो ऐसी जांच के दौरान वार्षिक वार्षिक में उपस्थिति होते से प्रतिष्ठित ही कर सकेंगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के द्वारे हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेंगा, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त—

(क) विकलिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) उह से, किसी अपशंघ के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमतों अंतर्वलित है; या

(ग) उह अपनी पदाधिकि के द्वारा अपने प्रद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) संघरणपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण प्रद पर का उपयोग रहने के असुरक्षा है; या

(ज) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ने की संभावना है।

(4) यदि सार्वजनिक सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी संदर्भ को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य व्यक्तियों के साथ साझा नहीं होने वाले किसी फायदे या फ़िलिप्पियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कृद्याचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्त्रियां

18. (1) इस अधिनियम के उपर्योगों के अधीन रहते हुए यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी प्राप्त करे—

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य।

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विविर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा केन्द्रीय अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को छापके आवेदन ऐसे भेजने के लिए स्वीकार करने से इकार कर दिया है;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए अनुरोध कर दिया गया है;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विविद्वत् समय-सीमा के बीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) जिससे ऐसी फॉर्म का संदेश करने की उपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है;

(ज) जो यह विवास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या भिन्ना सूचना दी गई है; और

(घ) इस अधिनियम के अधीन आमिलेखों के लिए अनुरोध करने का तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) कलां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह अनुचित समझता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तिमुख्य अपार वह उत्तर करने की संवंश में जांच अरंभ कर सकता है।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस विवास को अधीन लिखित अकियाक संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विवारण करने से समय विविध व्यक्तियों को लिहिल होती है, अर्थात्—

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपर्युक्त कलां सम्मिलित उपर्युक्त व्यक्तियों सम्पर्क देने के लिए और दस्तावेज़ या चीज़ें पेश करने के

लिए उनको विवश करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा ।

अपील ।

19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यवित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(2) जहाँ अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहाँ संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नबे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नबे दिन की अपील की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को

अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा ।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा ।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है—

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रस्तुप में ऐसा अनुरोध किया गया है ;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना ;

(iii) कठिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना ;

(iv) अभिलेखों के अनुस्करण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना ;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना ;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना ;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिसूचित करना ;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना ।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा ।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए ।

20. (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक

शास्ति ।

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दों सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्प्रतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा ।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की
गई कार्रवाई के
लिए संख्या ।

अधिनियम का
अध्यारोही
प्रभाव
होना ।

न्यायालयों की
अधिकारिता
का
वर्जन ।

अधिनियम का
कर्तिपय संगठनों
को लागू न
होना ।

1923 का 19

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

23. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी :

परंतु ब्रॉड्स्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना

इसे उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी ।

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से जुड़ी है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुख्खा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, सेशेधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम की कोई भार ऐसे आसूचना और सुख्खा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव-अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी ।

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 के किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा ।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को सुफलता कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा—

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहाँ आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य

मानीटर करना और रिपोर्ट करना ।

सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष

(घ) इस अधिनियम के अधारसन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की अवैध अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभास की सूचना ;

(च) कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशस्ति और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपेदर्शित करते हैं ;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्त्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) से निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक-

(क) जनता की विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियोकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी;

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और शीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम

में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(३) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रोनिक डाक पता ;

(ग) वह रीति और प्रूप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य ;

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है ;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध ;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदर्भ की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं ; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र ।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

27. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुति की जगते वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेश फीस ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेश फीस ;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेश वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति ।

निबंधन और शर्तें :

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियम बनाने की सकम प्राधिकारी की शक्ति ।

28. (1) सकम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेंगे।

ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लमगत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ; और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियमों का रखा जाना ।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वान्वित आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात् यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। 1 तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और सभीचीन प्रतीत होते हों : ।

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन ।

31. सूचना स्वास्थ्य अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2002 का 5

पहली अनुसूची

[धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले

प्रतिज्ञान का प्ररूप

“मैं जो

मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ इस्तर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा ।”।

दूसरी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो ।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खड़ ।
3. राजस्व ओसूचना निदेशालय ।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ।
5. प्रवर्तन निदेशालय ।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र ।
8. विशेष सीमान्त बल ।
9. सीमा सुरक्षा बल ।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ।
11. भारत-तिब्बत सीमा बल ।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।

14. असम राइफल्स।
15. विशेष सेवा ब्यूरो।
16. विशेष शाखा (सीआईडी), अंदमान और निकोबार।
17. अपराध शाखा-सीआईडी-सीबी, दादरा और नागर हवेली।
- 18. विशेष शाखा, लक्ष्मीपुरिस।

टी० के० विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार।

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या: 2132 / XXXI (13)G-65 (सू.अ०) / 2012
देहरादून: दिनांक 28 जून, 2013

अधिसूचना प्रकीर्ण

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 होगा।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएँ:

- जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

- (क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,
- (ख) "धारा" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है,
- (ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,
- (घ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,
- (ड) "बी०पी०एल०" से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रु० 12,000/- (रु० बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,
- (च) "प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी" से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी अभिप्रेत है,
- (छ) 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज-पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े सम्बन्धी सामग्री और किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी, लोक

प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

- (ज) 'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित हैः—
(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल,
(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिको और प्रतिकृति प्रति,
(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिरूप या प्रतिरूपों का पुनरुत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो); और
(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।
- (झ) 'सूचना का अधिकार' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित हैः—
(एक) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
(चार) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।
- (ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिये सूचना विहित करना:

3. राज्य सरकार समय-समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना और उसका अद्यावधिकरण राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी, इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप पर स्वतः प्रकटन हेतु विहित सूचना को सम्पूर्ण देश में कम्प्यूटर नेटवर्क से अथवा इण्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में अद्यावधिक करेगा।

आवेदन की भाषा:

4. सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया:

5.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।

(ख) बी०पी०एल० श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र पर जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, को सूचना निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को नोटिस भेजेगा कि सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही केवल आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर की जाएगी तथा 30 दिन की समय सीमा आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आरम्भ होगी।

(ग) अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र में किसी अन्य लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई होती है अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी तथा अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधपत्र ऐसे अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि अन्य लोक प्राधिकारियों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जायेगा अपितु अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए अनुरोधकर्ता को शेष सूचना के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिये कहा जायेगा।

(घ) अनुरोधकर्ता द्वारा यदि अनुरोध पत्र में ऐसी सूचना की मांग की जाती है, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है की वह किस लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है जिस कारण उससे सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र अन्तरित किया जाना सम्भव नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई हो, अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए रोप सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस करते हुए उसे उक्त स्थिति से अवगत करायेगा।

- (ङ) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में हैं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को 'सूचना धारित नहीं है' से अवगत करायेगा।
- (च) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।
- (छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण अधिनियम व नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुए लिखेगा और सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरुद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि का विवरण सूचित करेगा।
- (ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप से परिवर्तित न कर दिए गए हों अथवा अभिलेखों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकर न हो। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को सूचना का निरीक्षण कराकर सूचना आवेदनकर्ता को उस 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी जिस 'प्ररूप' में सूचना उपलब्ध कराना लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में विचलित न करता हो।

सूचना हेतु शुल्क:

- 6.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रु 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा;

- (ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्, परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (एक) ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ(छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रु0 2.00 (दो रुपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,
- (दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग हेतु रु0 5.00 मात्र(पांच रुपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,
- (तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।
- (ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्
- (एक) सी0डी0 / डी0वी0डी0 पर सूचना दिए जाने हेतु रु0 20.00 मात्र (बीस रुपये मात्र) प्रति सी0डी0 / डी0वी0डी0; और
- (दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो के प्रति पृष्ठ के लिए रु0 2.00 मात्र (दो रुपये मात्र)।
- (घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:-
- (एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।
- (दो) यदि सूचना बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए'4 साईज के) या तैयार करने में

रुपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक हो तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के व्यक्ति को स्वंय के खर्च पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणीयां लेने या छायाप्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवेदनकर्ता द्वारा स्वंय सत्यापित बी०पी०एल० कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्वः

7.(क) नियम 5 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोध कर्ता को यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।

(ख) अनुरोधकर्ता को तीसरे पक्ष की सूचना अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) अधिनियम की धारा 8(1) में उल्लिखित सूचनाएं जिन्हें प्रकटन से छूट हैं, को लोक सूचना अधिकारी अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायेगा।

परन्तु लोक प्राधिकारी वृहत्तर लोक हित में अधिनियम की धारा-8(2) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 8(1)(ज) निजी सूचनाएँ, जिसका प्रकटन का लोक गतिविधि या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिक्रमण है, का प्रकटन नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर लोक हित में निजी सूचनाओं का प्रकटन न्यायपूर्ण है।

विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलः


8.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र, की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे।

(ख) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना तीसरे पक्ष

— 6 —

द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

- (ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा। अपील के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक होने की दशा में अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे।
- (घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा यथा सम्बव प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। जहां अपील का निस्तारण 30 दिन की निर्धारित अवधि में न हो तब प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील का निस्तारण 45 दिन से अनधिक अवधि में कर सकेगा। अपील निस्तारण के लिए समय अवधि बढ़ाने के कारण अभिलिखित किए जायेंगे। अपील के निस्तारण आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा लोक सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रदान की जायेगी।
- (ङ) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(1)(ज) के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत 'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित से सम्बन्ध रखती है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।
- (च) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह 'सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त है अथवा नहीं। अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदित सूचना का प्रकटन वृहत्तर जनहित में प्रकटन करना उपयुक्त पाया है या नहीं। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है और अधिनियम की धारा 8(1)(ज), धारा 8(2) के प्राविधानों के अनुसार यह समाधान हो रहा है कि वृहत्तर लोक हित में आवेदित सूचना का प्रकटन किया जाना आवश्यक है तथा अपीलकर्ता तक सूचना निर्गत नहीं की गयी है, उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय



अधिकारी के निर्देश पर अनुरोधकर्ता को एक सप्ताह में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराएंगे।

- (छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' आवेदक को 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित सूचना का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान करके निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा।
- (ज) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुओं की विवेचना अंकित करेगा तथा जो 'सूचना' प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है, उस सूचना का प्रकटन करने के लिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

सूचना आयोग में द्वितीय अपील :

- 9.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।
- (ख) अपील पर निर्णय लेते समय राज्य सूचना आयोग:-
- (एक) सम्बन्धित अथवा हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा;
- (दो) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा या उनका निरीक्षण करेगा;
- (तीन) अग्रिम विवरण अथवा तथ्यों की प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जाँच करेगा; और
- (चार) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तीसरे पक्ष से शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।
- (पांच) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग उक्त

उपबन्ध (तीन) के अनुसार द्वितीय अपील में प्रश्नगत विषय पर ही जांच करेगा और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा। किसी अन्य प्राधिकारी को प्रश्नगत द्वितीय अपील के निस्तारण के दौरान किसी अन्य विषय पर जांच का निर्देश नहीं देगा।

(छ:) द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तिरिम निर्देश द्वितीय अपील में अन्तर्ग्रस्त विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

(सात) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(आठ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में आयोग को आवश्यक प्रतीत होता है आयोग कारण अभिलिखित करते हुए लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश निर्गत करेगा।

(नौ) आयोग द्वितीय अपील के जिन मामलों में वीडियो कान्फेन्स से द्वितीय अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी या अन्य अधिकारी का पक्ष जानना उपयुक्त समझता है और उनकी उपस्थिति अपेक्षित है तो वह ऐसा कर सकेगा। राज्य सरकार की वीडियो कान्फेन्स प्रणाली का आयोग को द्वितीय अपील अथवा शिकायत की सुनवाई के लिए उपयोग करने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

(दस) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण

6. 1

-9-

के आदेश के साथ प्रारम्भ जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(ग्यारह) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात् कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

- (ग) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
- (दो) उक्त उपखण्ड(एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।
- (तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा।
- (घ) आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जायेगी, उसके बाद की नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नांकित रूप से प्राप्त करायी जायेगी:-
 - (एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से;
 - (दो) तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती;
 - (तीन) साधारण डाक द्वारा; या
 - (चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।
 - (पाँच) इंटरनेट के माध्यम से ई मेल द्वारा अथवा एस०एम०एस० द्वारा।
 - (छ:) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।

किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (छ:) के अनुसार नोटिस प्राप्ति प्रथम पाँच तरीकों से नोटिस प्राप्ति न होने की दशा में ही किया जायेगा।

(ड) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा:-

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा।

(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाएंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रापणित किए जाएंगे।

(तीन) आयोग का आदेश आदेश होने के बाद आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया:

10.(क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजी जायेगी और शिकायत पर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हों। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो।

(ङ) अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आयोग शिकायत की जांच कर सकेगा और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा। आयोग शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी की समुचित रूप से सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

(च) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां

निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली:

11. (क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी।
- (ख) आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तों में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।
- (ग) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।
- (घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।
- (ङ.) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी प्रमुख शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि वसूलने पर लोक प्राधिकारी प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील की पत्रावली में रखी जायेगी।

(च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की राकितः

12. यदि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

निरसन और व्यावृत्तियां:-

13.(क) उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(ख) खण्ड (क) के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 निरसित किये जाने पर भी उक्त नियमावली के अन्तर्गत की गयी कोई भी कार्यवाही, जारी किया गया कोई आलेख्य, जहां तक वह इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के अधीन की गई, जारी की गई समझी जायेगी।

सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव।

संख्या: /XXXI(13)G-65 (सू0अ0) / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 1—समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2—प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड
- 3—सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड।
- 4—संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लिथो प्रेस, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस नियमावली का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6—निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 7—समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
- 8—गार्ड फाइल।

आज्ञायक
(एस०एस० वल्दिया)
संयुक्त सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no २/३२/XXXI(13)G-६५(सूअ०) / २०१२, dated २८-६-२०१२ for general information.

**Government of Uttarakhand
General Administration Section
NO:२/३२/XXXI (13)G-६५(सूअ०) / २०१२
Dehradun: Dated २८ June, 2013**

**Notification
Miscellaneous**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act no.22 of 2005), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

The Uttarakhand Right to Information Rules, 2013


Short title and Commencement

1. (i) These Rules may be called the Uttarakhand Right to Information Rules, 2013.
(ii) These Rules shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

Definitions:

2. In these Rules, unless there is anything contrary to the subject or context:-
 - a) "Act" means the Right to Information Act, 2005,
 - b) "Section" means the section of Right to Information Act, 2005,
 - c) "Commission" means the Uttarakhand State Information Commission,

- d) "State Government" means the State Government of Uttarakhand,
- e) "B.P.L." means the person living below poverty line having an annual income of less than Rs.12000/- (Rs. Twelve Thousand)
- f) "First Departmental Appeal Officer" means the officer designated under section 19(1) for disposal of first appeal filed under sub section (1) of section 19 of Right to Information Act,
- g) "Information" means the records held in electronic form, document, memorandum, e-mail, opinion, advice, press note, circular, order, log book, contract, papers, sample, model, material related to data, including any information in any form, any material related to any private body which can be reached by any Public Authority under any other law in force for the time being.
- (h) A 'Record' includes the following:-
 - (a) Any document, manuscript or file,
 - (b) Any microfilm, microfiche or facsimile copy of a document,
 - (c) Any reproduction of image or images embodied in such microfilm (Whether enlarged or not)
 - (d) Any other material produced with the help of a computer or through any other device.
- i) "Right to Information" means the right to information accessible under the Right to Information act, 2005 which is held by or is under the control of any Public Authority and includes the right to-
 - (i) inspect any work, document, record;
 - (ii) take notes, extracts or certified copies of documents or records;


 A handwritten signature in black ink, appearing to read "A.D.", is positioned at the bottom left of the page. A thin black line extends from the end of the signature towards the bottom right corner of the page.

(iii) take certified samples of materials;

(iv) obtain information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device.

j) Words and expressions used in these rules but not defined here shall have the same meaning as defined in the Right to Information Act, 2005.

Prescribing information for self disclosure by the State Government

3. The State Government may, from time to time, prescribe the information to be disclosed suo moto by any public authority or public authorities and its updation by publishing it in official gazette of the State Government. The prescribed information shall be published by the Public Authority in electronic form within 60 days from the date of prescribing the information. The Public Authority shall interlink the prescribed information for suo moto disclosure in electronic form throughout the country through computer network or internet. The Public Authority shall update the prescribed information in the form as specified by the State Government.

Language of Application

4. Application for obtaining information shall be made in Hindi Devanagari script or in English.

Procedure for obtaining information

5. (a) For obtaining 'information' under sub section (1) of section (6) of the Act, an application along with prescribed application fee shall be submitted to the Public Information Officer or Assistant Public Information Officer of the Public Authority.

(b) Application for 'information' from citizens other than B.P.L. category, not accompanying the amount of prescribed fee after depositing the prescribed fees the information shall be provided. The PIO shall send a notice to the applicant that the RTI application will be processed only on payment of application fee and that the 30-day time limit will commence upon payment of application fee.


(c) On applicant's request for information in the application which is under custody or control of other Public Authorities, the Public Information Officer shall provide information, if any, relating to his Public Authority or under the custody or control of his Public Authority to the applicant and for information concerning the other Public Authority the application shall be transferred to the Public Information Officer of such other Public Authority.

Provided that in case the number of other Public Authorities is two or more, the application shall not be transferred, instead, after providing the information under the custody or control of his Public Authority the applicant shall be asked to apply separately to the concerned Public Information officer for remaining information.

(d) In case the applicant seeks information for which it is not clear under which Public Authority's custody or control the information is available and as such it is not possible to transfer the application to the concerned Public Authority, the Public Information Officer, after providing the information, if any, which is under the custody or control of his Public Authority shall return the application to the applicant for remaining information and inform him of the situation.

(e) Request for 'information' may be made for such 'information' which is defined as 'information' under clause (f) of section (2) of the Act and is under the custody and control of the Public Authority. On requests for information other than defined in the Act, the Public Information Officer shall inform the applicant that the 'information is not held'.

(f) In case the 'information' requested in application not being clearly identified within a week after receiving the application, the Public Information officer shall inform the applicant for clearly identifying the required information by letter or by inspecting the disclosable 'information' of the Public Authority. After the applicant has inspected and identified the information and on informing the Public Information Officer, the 'information' shall be provided to the applicant as per procedure within the prescribed period.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. K. Singh', is positioned at the bottom of the page. A diagonal line is drawn across the signature from the bottom-left towards the top-right.

(g) In case of non acceptance of request for providing information the Public Information Officer shall inform the applicant the reason for non acceptance of his request mentioning the relevant provisions of the Act and the Rules. The Public Information Officer shall inform the applicant the time limit for filing appeal against non admittance of the request and also details of the designation and address of first appeal officer.

(h) The information required by the applicant shall be provided in the same form in which it has been asked unless the resources of Public Authority are disproportionately diverted in providing the information or is detrimental to the safety or preservation of records of the required information. After getting inspected the information by the applicant the information shall be provided to the applicant by the Public Information Officer in the form in which providing information the resources of the Public Authority are not disproportionately deviated.

Fees for information:


6 (a) For information under sub- section (1) of section 6 of the Act, payment of Rs.10.00 as application fee along with application may be made under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian postal order, treasury challan, non judicial stamp paper in favour of Public Information Officer or Assistant Public Information Officer of Public Authority;

(b) For additional fee as cost of information under sub-section (3) of section 7 of the Act, the payment may be made under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian Postal Order, Treasury challan, non judicial stamp paper in favour of Public Information officer of Public Authority at following rates; namely-

Provided that no fees shall be payable by the persons living below poverty line.

(i) Rs.2.00 (Rs. Two only) for A-3 or A-4 size page (Photo copy or ready information) and actual cost for a size bigger than this.

(ii) (ii) For first hour of inspection of records no charges shall be payable. Thereafter Rs. 5.00 (Rs. Five only) for an hour or partthereof shall be payable as fee.



- (iii) Fees for copies of models and samples is to be paid as per actual cost.
- (c) For providing information in printed or electronic form under sub-section (5) of section 7 of the Act, fees shall be payable under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian Postal Order, Treasury challan or non judicial stamp paper in favour of Public Information Officer of the Public Authority at the following rates, namely:-
- (i) Rs. 20.00 (Rs. Twenty only) per CD/DVD for information on CD/DVD, and
 - (ii) In case of a printed publication, its prescribed price or Rs. 2.00 (Rs. Two only) per page for photocopy of extracts of such publication.
- (d) For request of information from persons belonging to B.P.L. category the provision of fees shall be as under:-
- (i) In case the required information concerns persons of B.P.L. category or his own family the information shall be provided free of cost.
 - (ii) In case the required information concerns a person other than B.P.L category person or member of his family and the information can be provided in 50 photocopy pages (A-4 size) or not costing more than Rs. 100/- (Rs. One hundred only), the information so required shall be provided free of cost. In case the requested information exceeds this limit, the BPL category person may be permitted to inspect the records and take notes or obtain photocopies at his own expense.

Provided that persons living below poverty line shall have to enclose, along with the application, a copy of B.P.L card attested by the applicant himself.

Obligations of State Public Information Officer:

7. (a) The applicant, as far as possible, shall be informed about the additional fees mentioned in clause (b) and (c) of rules (5) within a week from the date of receipt of application.

(b) Third party information shall be provided to the applicant as per the procedure prescribed in section 11 of the Act.

(c) The information mentioned under section 8(1) of the Act, which is exempted from disclosure, shall not be provided on request of the applicant by the Public Information Officer.

Provided that in the larger public interest the Public Authority may allow access to the information exempted from disclosure under section 8(2) of the Act.

(d) Personal information under section 8(1) (j) of the Act not related to public activities or public interest or the disclosure of which amounts to undesirable invasion of privacy of any person, shall not be disclosed, except when the Public Information Officer or the Appeal Officer is satisfied that in the larger public interest the disclosure of such information is justified.

First appeal before the Departmental Appeal Officer

8. (a) While preferring an appeal against Public Information Officer's disposal order under section 19 of the Act, the applicant shall have to enclose a copy of request letter and the letter of disposal of request letter by Public Information Officer. The grounds of appeal shall be clearly mentioned in the Appeal.

(b) In case of disclosure of third party information, order of Public Information Officer, information required from the third party and the statement made by the third party shall be enclosed with the appeal preferred against the order of the Public Information Officer. The grounds of Appeal shall be clearly mentioned in the Appeal.

(c) The views of the Public Information Officer, if required, shall be taken by the First Appeal Officer on the Appeal filed by the applicant. The appellant may be directed to present himself, if so required, for the proper disposal of Appeal.

(d) The First Appeal Officer shall dispose off the first Appeal, as far as possible, within the period mentioned in the Act. Where the Appeal is not disposed off within the prescribed period of thirty days, the First Appeal Officer may dispose off the First Appeal within a period not


more than 45 days. The reasons for extending the time limit shall be recorded. A copy of the order of disposal of Appeal shall be provided to the appellant and to the Public Information Officer free of charge.

(e) The First Appeal Officer, while hearing the Appeal, shall inquire whether the Public Information Officer has refused the disclosure of personal information as per provisions of section 8(1)(j) of the Act. The Public Information Officer has not refused disclosure such personal information which is related to public activities and interest or which does not unnecessarily violate the privacy of the person or the disclosure of which is justified in the larger public interest.

(f) While considering the appeal the First Appeal Officer shall satisfy himself whether 'information' sought by the applicant can be disclosed or not, the disclosable information has been provided to the applicant within prescribed time or not, the information, the disclosure of which has been refused by the Public Information Officer is exempted under section 8 of the Act or not, whether the disclosure of the information requested for is found proper in the larger public interest, by the Public Authority under Section 8(2) of the Act. The 'information' the disclosure of which is not exempted under Section 8 and satisfaction has been made that under the provisions of Section 8(1)(j) and Section 8(2) of the Act that in larger public interest the disclosure of requested information is necessary and the 'Information' has not been released to the appellant, the Public Information Officer on the direction of the Appeal Officer shall make available the said information to the applicant within a week after taking the prescribed fees.

(g) On disclosure of the fact that the information sought by the applicant was not provided to the applicant for not being clearly identified the first Appeal Officer shall direct the applicant to clearly identify the required information in writing or after inspecting the concerned records of the Public Authority after paying the prescribed fee. The First Public Authority shall order to provide the information identified by the applicant after receiving the prescribed fees from the applicant.

(h) The first Appeal Officer shall record his comments on the points indicated in the above mentioned sub-rules in the decision on the

A handwritten signature consisting of stylized initials, possibly 'AD', followed by a long, thin, downward-sweeping line.

Appeal and shall direct the Public Information Officer to disclose the information which is not exempted from the disclosure.

Second Appeal in Information Commission

9. (a) While preferring second appeal under section 19 of the Act before State Information Commission the appellant shall enclose copies of applicant's request letter, letter of disposal of request letter of Public Information Officer, order of disposal by First Appeal Officer along with applicant's second appeal. It is necessary to mention clearly the grounds of second appeal.

(b) On filing second appeal by the appellant the Commission shall adopt the following procedure:

(i) In the second appeal, the concerned Public Information Officer and Departmental Appeal Officer as, required, shall be made respondents. Any other officer/authority shall not be made respondent in the second appeal.

(ii) On the grounds mentioned by the appellant in his second appeal the Public Information Officer and first Appeal Officer shall be given opportunity to submit their replies in writing.

(iii) In Second Appeal the Commission shall inquire whether the 'information' requested by the applicant has been provided to him as per provisions of the Act or not. The Commission in the Second Appeal shall also inquire whether the First Appeal Officer, as per provisions of the Act, directed the Public Information Officer to release information to the applicant or not, the Public Information Officer released the 'information' within the prescribed time limit or not, whether any harm was caused to the applicant due to non disclosure of disclosable information, if so, what is the evaluation of the harm caused to the appellant. After making necessary inquiry on the above mentioned points, the Commission will pass orders on the Second Appeal.

(iv) The State Information Commission, while deciding an appeal may: --


- (A) receive oral or written evidence on oath or on affidavit from concerned or interested persons;
- (B) peruse or inspect documents, public records or copies thereof;
- (C) inquire through authorized officer further details or facts; and
- (D) receive evidence on affidavits from the Public Information Officer, Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority and any such other person against whom the appeal lies or the third party.

(v) In the Second Appeal only the matter of disclosure of requested information within the prescribed time shall be considered. In the Second Appeal, as per clause (iii) above the State Information Commission shall inquire into the subject, in question, of the Second Appeal. No other Authority shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question.

(vi) In the Second Appeal the Public Information Officer shall be given an opportunity to submit his case on the Second Appeal. No interim order shall be passed by the Commission thereafter for taking action on any subject other than included in the Second Appeal. The Second Appeal shall be disposed off, as far as possible, within 90 days and latest within 120 days.

(vii) In the order of Second Appeal the Information Commission may, if required, direct with regard to disclosure of information or access to information as provided in section 19 (8) of the Act.

(viii) While disposing off the Second Appeal the Public Information Officer and First Departmental Appeal Officer or any other Officer shall not be directed to be present during the hearing. In cases wherein the Commission feels necessary it shall direct the Public Information Officer to be present during the Second Appeal, the reasons of which shall be recorded in writing.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or a similar character, followed by a long, thin, diagonal line extending from the bottom right towards the center.


(ix) In the cases of Second Appeal in which the Commission considers it proper to know through video conference, the case of Public Information Officer or other Officer and their presence is required, it may do so. The facility of video conferencing of the State Government shall be provided to the Commission by the State Government for hearing Second Appeal or complaint.

(x) On being satisfied during Second Appeal that it is necessary to impose penalty upon Public Information Officer under section 20 of the Act, the Public Information Officer after serving a show cause notice to him shall be given an opportunity to explain the reasons. After the Public Information Officer has submitted his case or on the expiry of prescribed limit, the Commission shall impose penalty against the Public Information Officer as per section 20 of the Act. The action of imposing penalty against the Public Information Officer shall be initiated along with the disposal order of the Second Appeal. The disposal of Second Appeal shall not be kept pending for initiating the process of imposing penalty.

(xi) While inquiring into an appeal the Commission may recommend disciplinary action against a Public Information Officer who persistently violates the provisions of the Act. Prior to issuing such recommendation, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice, the Commission shall issue appropriate recommendations to the public authority that appointed such Public Information Officer.

(c) (i) While preferring appeal in the Commission against the order of Public Information Officer in the matter of disclosure of information regarding third party, the order of Public Information Officer, information sought from the third party and statement submitted by the third party shall be enclosed along with the appeal. The grounds of appeal shall clearly be stated in the appeal.

- (ii) The Commission shall give opportunity to the third party to present its case in the appeal proffered as per above sub-clause (one).
- (iii) For disposal of appeal the Public Information Officer and the third party shall be given opportunity to present their case in writing.
- (d) The Commission shall send first notice to the concerned person by registered post/speed post thereafter subsequent notice to concerned person shall be served in the following way:-
- (i) through the party itself;
 - (ii) through the server by hand;
 - (iii) by ordinary post, or
 - (iv) through Head of Office or Head of the Department.
 - (v) by E-mail through internet or by SMS.
 - (vi) by registered post with acknowledgement due or speed post.
- Provided further that the delivery may be made by fifth mode only in case it is not possible by other five means as per clause (vi).
- (e) Following procedure shall be adopted by the Commission for hearing the appellant or the parties:-
- (i) The appellant or the respondent, as the case may be, may take assistance of any person for the purpose of presenting his case in the process of Appeal.
 - (ii) The orders of the Commission shall be delivered in open and shall be authenticated in writing by the officer or secretary authorized in this behalf.
 - (iii) After the order of the Commission is passed it will be uploaded by the Commission on its website as early as possible.



 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Commissioner", is positioned at the bottom of the page. It is written in a cursive style with a large, stylized 'C' at the beginning.

Procedure for action by the Commission under Section (18) of the Act

10. (a) The Commission shall enquire into the complaint filed for reasons mentioned in clause (a) to (f) of section 18 (1) of the Act.
- (b) The complainant shall clearly indicate in his complaint the ground or grounds under which clause (a) to (f) of sub section (1) of section (18), the complaint has been lodged.
- (c) The copy of complaint shall be sent to the Public Information Officer or Principal Public Authority, as the case may be, and they will be given an opportunity to present their case in writing, on the complaint.
- (d) The Commission may, as may be required, take evidence of all such persons whom he considers necessary for the inquiry of the complaint and call and inspect such records which are necessary for enquiring into the complaint.
- (e) The Commission may, inquire into the complaint and impose penalty to punish the Public Information Officer who contravenes the provisions of the Act, as per Section 20 of the Act. Prior to imposing penalty, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter after properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice the Commission shall pass appropriate orders.
- (f) While inquiring into a complaint the Commission may recommend disciplinary action against a Public Information Officer who persistently violates the provisions of the Act. Prior to issuing such recommendation, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice, the Commission shall issue appropriate recommendations to the public authority that appointed such Public Information Officer.


Recovery of Compensation and Penalty imposed by the Commission:

11. (a) The penalty imposed on Public Information Officer or compensation imposed on Public Authority may be recovered on



expiry of three months period from the date of order passed in second appeal or complaint, as the case may be.

- (b) The Commission may pass orders to recover the imposed penalty in not more than three instalments on imposition of a penalty on Public Information Officer by the Commission, a copy of such order shall be provided to Public Authority of Public Information Officer for the purpose of recovery of the penalty who will on receipt of the order will send acknowledgement of the same to the Commission with the intention that the penalty has been noted for the purpose of recovery.
- (c) Upon Passing an order against a Public Authority for award of compensation to an appellant or complainant by the Commission, a copy of such order shall be provided by the Commission itself to the Public Authority for the purpose of recovery who will send acknowledgement of the same to the Commission indicating that the compensation amount has been noted for payment to the appellant or complainant and for recovery of the same amount from such concerned officers as the Public Authority may deem fit.
- (d) After receiving the order from the Commission under clause (b) and (c) and forwarding the acknowledgement of the same to the Commission by the Public Authority, the responsibility of recovering the penalty or compensation shall be of the Public Authority under clause (a).
- (e) For the purpose of recovery of penalty or compensation it shall be sufficient to provide the concerned Public Authority a copy of penalty order or compensation order. The Head of Public Authority shall recover the amount of penalty or compensation after three months but within a period not more than six months. On recovery of the said amount the Head of Public Authority shall inform the Commission about the details of recovery of the amount. The said information shall be kept in the file concerning the Second Appeal by the Commission.
- (f) Recovery of penalty or compensation by the Public Authority, depositing it with exchequer or payment to the applicant, as the case may be, shall be done in a manner as prescribed from time to time by the State Government

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. D.", is positioned above a diagonal line.


Power to remove difficulties:

12. If any difficulty arises in effective implementation of these rules the State Government may pass such orders as may be necessary and expedient to remove such difficulties.

Repeal and Savings

13. (a) The Uttarakhand Right to Information Rules, 2012 are hereby repealed.

(b) Notwithstanding the Uttarakhand Right to Information Rules, 2012 being repealed, any act done or document issued under the said rules, unless not inconsistent with these rules, shall be deemed to be done on issued under these rules.



(Surendra Singh Rawat)
Secretary